39X

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः सूडा भवन, 7/23, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010 ई-मेलः Quality@upmsc.in वेबसाइटः <u>www.upmsc.in</u> सम्पर्क सूत्रः 0522.2838102

पत्रांकः यूपीएमएससीएल/क्यू०सी०/2020/९६।५

दिनांकः 18 जून, 2020

सेवा में,

 मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद— श्रावस्ती, प्रयागराज, शामली, हाथरस, जौनपुर एवं कानपुर देहात

2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका (जिला महिला, पुरूष एवं संयुक्त चिकित्सालय) जिला— जालौन, अलीगढ़, संत रविदास नगर, प्रयागराज, गोरखपुर वाराणसी, सहारनपुर एवं ट्रान्सपोर्ट नगर वेयर हाउस लखनऊ।

विषयः मेसर्स सुपर फार्मुलेशन प्रा० लि० 16 बी व 15बी, इन्ड्रस्ट्रीयल एरिया, मैक्सी रोड, उज्जैन म0 प्र0—456010 द्वारा आपूर्तित औषधि Omeprazole : 20mg (cap) का Batch No. OMU27 की प्राप्ति, वितरण एवं उपयोग तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक बन्द करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उ० प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि० लखनऊ के क्रयादेश सं० UP/UP/HQ/19/261/4(10281905650), दिनांक: 26.03.2019 एवं UP/UP/HQ/19/734/3(10281910998), दिनांक: 04.06.2019 के क्रम में मेसर्स सुपर फार्मुलेशन 16वी व 15वी, इन्ट्रस्ट्रीयल एरिया, मैक्सी रोड, उज्जैन म० प्र०—456010 द्वारा कैप्सुल Omeprazole: 20mg (cap) का Batch No. OMU27 [Mfg Date-05/2019, Exp. Date 04/2021] की आपूर्ति प्रदेश की चिकित्सा ईकाइयों के औषधि भण्डारों में की गयी थी। तदोंपरान्त उपरोक्त औषधि का नमूना औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, हाथरस (उ०प्र०) द्वारा नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानिकपुर, सादाबाद, जिला— हाथरस के औषधि भण्डार से संग्रहित किया गया था जिसे राजकीय विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ०प्र० की जॉच रिपोर्ट (टेस्ट रिपोर्ट संख्या: R/313-20 ,दिनांक: 21.01.2020) द्वारा ''The sample does not conform to IP in respect of uniformity of weight" के कारण ''Not of Standard Quality'' घोषित किया गया है (परीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि निर्माता सुपर फार्मुलेशन 16वी व 15वी, इन्ट्रस्ट्रीयल एरिया, मैक्सी रोड, उज्जैन म0 प्र0—456010 द्वारा निर्मित औषधि Omeprazole : 20mg (cap) का Batch No. OMU27 बैच की प्राप्ति, उपयोग तत्काल प्रभाव से वन्द करा दें। उपरोक्त औषधि बैच का वितरण तत्काल प्रभाव से रोक दें एवं अन्य स्वास्थ्य इकाईयों को वितरित उपरोक्त औषधि बैच की समस्त मात्रा की वापसी (रिकॉल) करके अपने औषधि भण्डार में वितरण की जाने वाली औषधियों से पृथक रखवा दें। औषधि वापसी (रिकॉल) के उपरान्त उपरोक्त औषधि बैच की कुल मात्रा डी०वी०डी०एम०एस पोर्टल पर भी अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। संबन्धित फर्म को उपरोक्त औषधि के बैच को वापस लेने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। फर्म द्वारा वापस मांगने पर उक्त औषधि बैच को फर्म के अधिकृत व्यक्ति को प्राप्त कराना सुनिश्चित करे एवं वापसी के उपरान्त सूचना उ० प्र० मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन के सप्लाई चेन अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा शिथिलता की दशा में सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाई स्वयं उत्तरदायी होगी।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

प्रबन्धक

(गुणवत्ता नियंत्रक)



उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज़ कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः सूडा भवन, 7/23, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010 ई-मेलः Quality@upmsc.in वेबसाइटः <u>www.upmsc.in</u> सम्पर्क सूत्रः 0522.2838102

पृ०सं०:यूपीएमएससीएल / क्यू०सी० / 2020 /

तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि०।
- 2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ, उ०प्र० l
- 4. अधिशाषी निदेशक, उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि०।
- 5. परामर्शदाता (औषधि उपार्जन), उ०प्रo मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिo।
- 6. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि०।
- 7. औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ०प्र० आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कार्यालय उ०प्र० लखनऊ।
- महाप्रबन्धक (सप्लाई चेन), उ०प्र०मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि०।
- 9. महाप्रबन्धक (औषधि उपार्जन) उ०प्र०मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि०।
- 10. नोडल अधिकारी, डीoवीoडीoएमoएसo, उoप्रo मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिo।
- 11. प्रबन्धक (एम०आई०एस०) उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि०।
- 12. प्रोजेक्ट मैनेजर डी०वी०डी०एम०एस , उ०प्र० मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि०।
- 13. श्री नाहर सिंह आई०टी०सेल एक्जिक्यूटिव को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त पत्र को ई०मेल के माध्यम से सम्बन्धित सी०एम०ओ, सी०एम०एस (पुरूष, महिला एवं संयुक्त) चिकित्सालय को अविलम्ब प्रेषित कर सचित करें।
- 14. सम्बन्धित प्रभारी वेयर हाउस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त बैच की औषधि का वितरण तत्काल प्रभाव से रोकते हुए, शेष बची हुयी औषघि को पृथक रखवाना सुनिश्चित करें एवं फर्म द्वारा मांगे जाने पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे एवं वापसी रिपोर्ट उ० प्र० मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन के सप्लाई चेन अनुभाग को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
- 15. मेसर्स सुपर फार्मुलेशन प्रा0 लि0 16 बी व 15बी, इन्ड्रस्ट्रीयल एरिया, मैक्सी रोड, उज्जैन म0 प्र0-456010.

/ प्रबन्धक (गुणवत्ता नियंत्रक)